मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त,2003 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार,दिनांक 28 जुलाई,2003 (श्रावण 6, 1925)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख -

1. श्री भगतराम मनहर, अविभाजित मध्यप्रदेश के संसद सदस्य,
2. श्री चरणसिंह मांझी, अविभाजित मध्यप्रदेश की एकादश विधान सभा के सदस्य,
3. श्री सूरजमल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
4. श्री परबचन्द जैन, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
5. श्रीमती रतनकुमारी देवी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
6. श्री एल.ए.जामनिक, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
7. श्री रमेश शर्मा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
8. श्री मांगीलाल आदिवासी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
9. श्री जंगुसिंह उइके, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
10. श्री बच्चन नायक, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
11. श्री बालकृष्ण गुप्ता, कम्युनिस्ट नेता,
12. प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भूतपूर्व सरसंघ चालक,
13. श्री भीष्म साहनी, सुप्रसिद्ध साहित्यकार,
14. उस्ताद अब्दुल लतीफ खां, प्रख्यात सारंगीवादक, तथा
15. देश एवं प्रदेश में हुई विभिन्न दुघर्टनाओं में मृत व्यक्ति.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नकाल

4. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री वीरसिंह रघुवंशी, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण (लंबित एवं निराकृत आवेदनों का अंतरण) अध्यादेश, 2003 (क्रमांक 1सन् 2003) पटल पर रखेंगे.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री हरवंश सिंह, वन मंत्री, मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) की धारा - 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-20-2000-दस-3, दिनांक 27 फरवरी, 2003 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री बिसाहूलाल सिंह, ऊर्जा मंत्री, विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा - 75 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

(3) चौधरी राकेश सिंह, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल अधिनियम, 1972 (क्रमांक 3 सन् 1973) की धारा-74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे.

6. फरवरी-मार्च, 2003 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

7. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2003 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

8. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

9. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, बालाघाट जिले में रहस्यमय बीमारी से अनेक बच्चों की मृत्यु होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्रीमती सुधा जैन, श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर एवं दमोह जिले में हत्या की घटनाएं होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

10. सभापति तालिका की घोषणा.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल
दिनांक : 27 जुलाई, 2003